

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकांशी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानादं**  
पीठाधीन अधिकांशी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.  
बाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आर्टीए व 136 एलआर एफ्ट  
मु.नं. 121 सन 2019



<p align="center">तारीख हुकूम</p>	<p align="right">29.11.2019</p>										
<p align="center"><b>हुकूम की कायदावाही मय इनिशियलस जल</b></p>	<p>यह बाद पत्र राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी बाड़वास नं बाद पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद पत्र की पत्रावली मूखिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुजानादं ग्रामीण की अंतिम वासला आधार संवत् 2076-79 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाला खूख्या 52, पुराना खाला खूख्या 52 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि जाट निवासी सुजानादं दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कर्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी बाड़वास है। वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी बाड़वास किया जाना उचित है।</p> <p>वादी पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान सुजानादं नं रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत् 2076-79 में वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि जाट निवासी सुजानादं दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कर्ड व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजाल एवं तहसीलदार सुजानादं की अनुरोध के आधार पर राजस्थान कारतकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम सुजानादं ग्रामीण तहसील सुजानादं व जिला बूक की जमाबन्दी संवत् 2076-79 नया खाला खूख्या 52, पुराना खाला खूख्या 52 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से बूख किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> <table border="1" data-bbox="381 592 1234 869"> <thead> <tr> <th>क. ग्राम</th> <th>खाला</th> <th>खूख्या</th> <th>वर्तमान प्रविष्टि (आदेश प्रविष्टि)</th> <th>द्वर्ज की जाती है</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>सुजानादं</td> <td>55</td> <td>सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि जाट निवासी सुजानादं</td> <td>सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाड़वास खालादर</td> </tr> </tbody> </table> <p>नियुक्ति की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानादं को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शिमार डेकर हरेख जाबा दखिल दर्पतर हो। नियुक्ति आज दिनांक 29.11.2019 को भरे द्वारा लिखाया जाकर खूखे न्यायालय में सुनाया गया।</p>	क. ग्राम	खाला	खूख्या	वर्तमान प्रविष्टि (आदेश प्रविष्टि)	द्वर्ज की जाती है	1	सुजानादं	55	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि जाट निवासी सुजानादं	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाड़वास खालादर
क. ग्राम	खाला	खूख्या	वर्तमान प्रविष्टि (आदेश प्रविष्टि)	द्वर्ज की जाती है							
1	सुजानादं	55	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि जाट निवासी सुजानादं	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जालि रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाड़वास खालादर							

2019/00940

128

उपखण्ड अधिकांशी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानादं